


तारीख हुकम

प्रमाण अस्थाई निषेधाज्ञा क्र.नं. 15/2025

22.01.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान  
उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर  
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर विद्गा कर खारिज  
किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील  
अप्रार्थीगण ने विद्गा हेतु सहमति व्यक्त की। अतः वकील प्रार्थी के  
निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर  
विद्गा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

